as on the 31st March. 1994;

(c) what is the target fixed to provide telephone connections duriag 1994; and

(d) what effective measures are being taken by Government to clear the waiting-list within the reasonable time ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) The wasting list under general category as on 1-4-1994 is 1,69,705 in Punjab.,

(b)Total number of persons on waiting list its on 1-4-94 are 1,89,462.

(c) Based on the Annual plan 1994—95 it is proposed to provide 70,500 Telephone connections in Punjab during 19,95 subject to the avilability of resources,, .

(d) The, department' of Telecom has for mulated 8th Five Year Plan (1992-97) which envisages .

— to provide telephones, practically on demand in rural and tribal areas.

—to .restrict waiting period to two years in large telephone systems.

Plans are being drawn accordingly for Punjab including Chandigarh. 396700 telephone connections are planned to be provided during 92-97 for meeting the above objectives.

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन निर्देशिका का प्रकाशन

5377. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में टेलिफोन निर्देशिकाओं के प्रकाशन के मामले में ठेकेदारों के विरुद्ध जो कार्यवाही की गयी थी उनकी प्रकृति और प्रक्रिया में अंतर है,

(ख) विभिन्न तरह की कार्यवाही किये जाने के कारण क्या हैं,

(ग) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में अधिकारियों की जवाबदेही नियत नहीं की गयी है, और

(घ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) टेलीफोन डाइरेक्टरियों के मुद्रण में ठेका संबंधी जिम्मेदारियों में चूकों की गंभीरता के आधार पर ठेकेदारों को अलग-अलग प्रकार के दंड दिए गए थे।

(ग) और (घ) विलंब, ठेकेदारों के लेप के कारण हुआ; चूंकि टेंडरों के निपटान में कोई विलंब नहीं हुआ, जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधाएं

5378. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन ग्राम-पंचायतों की जिला-वार संख्या कितनी है जहां टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं,

(ख) उन ग्राम-पंचायतों की जिला-वार संख्या कितनी है जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है,

(ग) क्या यह सच है कि सभी पंचायतों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है,

(घ) क्या सरकार ने सभी पंचायतों में यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किया है,

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) टेलीफोन सुविधायुक्त तथा बिना टेलीफोन सुविधा के पंचायत ग्रामों के जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं। (नीचे देखिये)।

(ग) जी हां। यह सच है कि सभी यह सुविधा सभी पंचायतों में उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार की नीति के अनुसार 31 मार्च 1995 तक उत्तरोत्तर रूप से सभी पंचायत ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। तथापि उत्तर प्रदेश में 31-3-1994 की स्थिति के अनुसार बिना टेलीफोन सुविधा वाले शेष पंचायत ग्रामों की संख्या 56,145 है, जो कि बहुत अधिक है। अतः कम से कम समय में शेष पंचायत ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए उपलब्ध संसाधनों तथा प्रौद्योगिकी के आधार पर अलग से नीति तैयार की जा रही है।